बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774
महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव:- * राजचन्द वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक : 48 दिनांक 6/9/2012

उप मुख्यमंत्री,
मंत्री, वित्त एवं वाणिज्य-कर कोषांग
गैर सरकारी प्रेषण संख्या– 453
दिनांक 7/9/12

सेवा में

माननीय उप–मुख्यमंत्री
बिहार सरकार।

विषयः– 01.01.2009 एवं इस तिथि के बाद नियुक्त बि॰प्र॰से॰ के पदाधिकारियों का PB-2 ग्रेड पे–5400 में वित्त विभाग के संकल्प संख्या–630 दिनांक–21.01.2010 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या कर गलत संशोधित वेतन पूर्जा निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के 47वीं एवं 48–52वीं बैच के पदाधिकारियों का सेवा में योगदान की तिथि 01.01.2009 के बाद की है तथा पूर्व में इन सभी बैच के पदाधिकारियों का वेतन पूर्जा PB-2 ग्रेड पे–5400 में वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 630 दिनांक–21.01.2010 की कंडिका–8 के आलोक में schedule-II के अनुरुप निर्गत किया गया था (निर्गत वेतन पूर्जा की छायाप्रति संलग्न)।

पुनः इन सभी बैच के पदाधिकारियों को संशोधित वेतन पूर्जा निर्गत करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है जिसमें इनका वेतन PB-2 के मूल प्रक्रम 9300 के साथ ग्रेड पे 5400 जोड़कर निर्गत किया जा रहा है जो कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 630 दिनांक–21.01.2010 की कंडिका–8 में वर्णित प्रक्रिया के विरुद्ध है (निर्गत वेतन पूर्जा की छायाप्रति संलग्न)। इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–7101 दिनांक–01.08.2011 की कंडिका 2(II) में भी संकल्प संख्या– 630 दिनांक – 21.01.2010 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या की गई है।

ज्ञातव्य हो कि केन्द्र सरकार में भी 01.09.2008 के बाद के नियुक्त कर्मियों का वेतन निर्धारण भारत सरकार के राजपत्र संख्या–470 दिनांक–29.08.2008 की कंडिका–8 के अनुरुप Part A के First Schedule के Section II के आलोक में ही किया जा रहा है (केन्द्र सरकार के 25.07.2011 को नियुक्त सहायक की नियुक्ति एवं वेतन निर्धारण आदेश की छायाप्रति संलग्न)।

उपर्युक्त के आलोक में भवदीय से अनुरोध होगा कि संशोधित वेतन पूर्जा निर्गत करने में अपनाई जा रही इस गलत प्रक्रिया को तत्काल रोकने हेतु आदेश देना चाहेंगे तथा उपर वर्णित त्रुटियों को अविलम्ब दूर करवाना चाहेंगे।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
सुशील कुमार
महासचिव